

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-2103/सेक-2-पांच-18-1(3)/2016  
लखनऊ :: दिनांक : 05 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारी डा0 अजय कपूर (वरिष्ठता क्रमांक-8993), उप मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 पीयूष रस्तोगी (वरिष्ठता क्रमांक-8996) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल-4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- डा0 अजय कपूर की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा0 नीरज शुक्ला  
विशेष सचिव।

संख्या-2103 (1)/सेक-2-पांच-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0., लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
- 7- कोषाधिकारी, आगरा।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- प्रभार, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(पी0लाल)  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या-2104/सेक-2-पांच-18-1(3)/2016  
लखनऊ :: दिनांक : 05 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 के चिकित्साधिकारी डा० राजाराम (वरिष्ठता क्रमांक-9030), चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा०केन्द्र, धौरहरा, लखीमपुर खीरी को उनके आसन्न कनिष्ठ डा० भगवान दास भिरौरिया (वरिष्ठता क्रमांक-9031) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल-4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- डा० राजाराम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा० नीरज शुक्ला  
विशेष सचिव।

संख्या-2104 (1)/सेक-2-पांच-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०., लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 7- कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-3।
- 10- प्रभार, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(पी०लाल)  
संयुक्त सचिव।